



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.अतुल पाण्डेय पुत्र कमलेश पाण्डेय निवासी मु० वालमभट्ट कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन 2. छोटे साहब पुत्र वीरेन्द्र गुर्जर नि० ग्राम सिहारी दाउदपुर थाना जालौन जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना चुर्खी में मु०अ०सं० 47/2017 (वाद संख्या – 07/2018) धारा 406/504/506 भादवि व 3(1)द ध एससी/एसटी एक्ट में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 05.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2019 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 04 वर्ष 04 माह) में दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल रणकेन्द्र
भट्टैरिगा



पैरोकार कमल किशोर

@jalaunpolice

jalaunpolice

JalaunPolice